न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
66 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	16.12.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.............आवेदक

बनाम

1—श्री लोकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक निवासी टेलिफोन एक्सचेंज के पास कोली मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक
2—श्री उत्तम चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी कायस्थ मोहल्ल वार्ड नं. 11 मालपुरा जिला टोंक
3—श्री अनिल सेठिया पुत्र श्री उत्तम चन्द सेठिया प्रोपरायटर मैसर्स मिलन मार्केटिंग पंजाब नेशनल बैंक के सामने संसारचन्द्र रोड जयपुर राज. निवासी ए—401, उन्नति पार्क व्यू, कान्ति चन्द्र रोड, दुर्गा बाडी के पास, बनीपार्क जयपुर राज.

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थीगण स्वयं।

दिनांक 16.12.2022

:—**निर्णय**—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2021 को समय 03:01 पी.एम. मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुँचा। वहॉ पर श्री लोकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने स्वंय को मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **सोन पपडी उत्तम ब्राण्ड (Soan Papdi Uttam Brand)** 400—400 ग्राम के 20 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री लोकेश कुमार अग्रवाल को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री लोकेश कुमार अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सोन पपडी उत्तम ब्राण्ड (Soan Papdi Uttam Brand)** जिसके बैच नं. 0डी010

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एवं पैकिंग की दिनांक 04.10.2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 400—400 ग्राम के 4 नग कुल वजन 1600 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोन पपडी उत्तम ब्राण्ड (Soan Papdi Uttam Brand)** 400—400 ग्राम के 1—1 नग के चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई—2956 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई—2956 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री लोकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक ने मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 3223 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0 / 1584 / एक्ट / 2021 / 218 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **सोन पपडी उत्तम ब्राण्ड (Soan Papdi Uttam Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

वारंटी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज व मैसर्स मिलन मार्केटिंग पंजाब नेशनल बैंक के सामने संसारचन्द्र रोड जयपुर का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स मिलन मार्केटिंग पंजाब नेशनल बैंक के सामने संसारचन्द्र रोड जयपुर को आवेदक ने फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

परन्तु कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री लोकेश कुमार अग्रवाल व अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री उत्तम चन्द जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सोन पपडी उत्तम ब्राण्ड (Soan Papdi Uttam Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी उत्तम ब्राण्ड (Soan Papdi Uttam Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री लोकेश कुमार अग्रवाल पर शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 2 श्री उत्तम चन्द जैन पर शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये), तथा अप्रार्थी सं. 3 श्री अनिल सेठिया पर शास्ति रूपये 15,000/—(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0